न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1593–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 400/2009–10/अपील.

हरीश कुमार बंशीलाल जी सोनी
निवासी जनता कालोनी मंदसौर
_____अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा खनिज अधिकारी मंदसौर
2. सुरेश पिता प्रभुलालजी बावरी
   निवासी खोखरा तहसील मल्हारगढ,
   जिला मंदसौर
3. कलाबाई पति सुरेश बलाई
   निवासी खोखरा तहसील मल्हारगढ
   जिला मंदसौर
_____ प्रत्यर्थीगण

– – –

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक – प्रत्यर्थी कं. 1
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – प्रत्यर्थी कमांक 2 व 3

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 14 दिसम्बर 2015)

– – – – –

यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 24–6–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि प्रभारी खनिज अधिकारी मन्दसौर ने प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ को प्रतिवेदन पेश किया जिसमें ग्राम पिपल्यापंथ के शासकीय भूमि सर्वे कमांक 5/2 रकबा 21.49 हे0 क्षेत्र में 66 घ.मी. में से पत्थर गिट्टी का अवैध उत्खनन कर निकाला गया है जिसका बाजार मूल्य 16500/— होता है जिसकी पैनेल्टी 33000/— प्रस्तावित कर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विरूद्ध धारा 247(7) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु भेजा। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज सुनवाई पश्चात आदेश दिनांक 30—11—2006 के द्वारा आवेदक हरीश सोनी पर 33000/— अर्थदण्ड आरोपित कर जप्त अवैध उत्खनन पत्थर के निलामी के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अपर कलेक्टर मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15—5—07 के द्वारा अपील निरस्त की गई। इसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24—6—2011 के द्वारा हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी जनता कालोनी मंदसौर में निवास करता है ऐसी टीप नोटिस पर अंकित की गई है तथा तामील मंदसौर के पते पर करने के भी कोई प्रयास नहीं किए गए। इस आधार पर अपीलीर्थी को विधिवत सूचना जारी नहीं की गई। यह भी तर्क दिया कि पंचनामे में प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा गिट्टी पत्थर का खनन अपीलार्थी के निर्देश पर किया जा रहा था ऐसा उल्लेख नहीं है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील न्यायालय

द्वारा उक्त बिन्दु बिना विचार किये अपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करने संबंधी आदेश पारित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि पंचनामे में प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा गिट्टी पत्थर का खनन अपीलार्थी के निर्देश पर किया जाना माना परन्तु प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 को अवैध उत्खनन के लिए दोषी नहीं मानते हुये अपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित करने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जाये।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा यह तृतीय अपील प्रस्तुत की जबकि संहिता में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अब इस स्तर पर अपील को निगरानी में भी नहीं बदला जा सकता है। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलार्थी के कहने पर प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा अवैध उत्खनन होना प्रमाणित पाया और चूंकि अपीलार्थी के कहने पर ही प्रत्यर्थीयों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है इसी आधार पर अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तर्क में यह भी कहा कि तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार अपील में नहीं है।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 अपीलार्थी के यहां मजदूरी करते हैं और अपीलार्थी के कहने पर ही प्रत्यर्थीयों द्वारा गिट्टी पत्थर का खनन किया जा रहा था। अपीलार्थी द्वारा उनसे भूमि लीज की भूमि बताकर मजदूरी से पत्थर खुदवाये। इसी तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा भी माना है और अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अतः अपील निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है।

म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में तृतीय अपील का प्रावधान न होने से यह अपील इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मंदसौर के पते पर सूचना तामील हेतु भेजी गई थी, परन्तु मकान नम्बर व गली का पूर्ण पता नहीं दर्शाने के कारण सूचना पत्र तामील नहीं हो सका। प्रकरण में पुनः ग्राम कनघट्टी के पते पर सूचना पत्र जारी किया गया जिसे अपीलांट के पिता द्वारा प्राप्त किया गया है, अतः अपीलार्थी का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे विधिवत सूचना नहीं दी गई थी। जहां तक अपीलार्थी द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित करने के तर्क का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न मौका पंचनामा एवं खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 अपीलार्थी के यहां 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करते थे और अपीलार्थी द्वारा यह बताये जाने पर कि उपरोक्त भूमि लीज पर प्राप्त है इसी आधार पर प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा मजदूरी पर उत्खनन किया जा रहा था। चूंकि अपीलार्थी के कहने पर ही प्रत्यर्थी कमांक 2 एवं 3 द्वारा उत्खनन किया जा रहा था इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में परिलक्षित नहीं होता।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश दिनांक 24—6—2011 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,